Aishwarya College of Education

• Recognized by UGC under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act, 1956 • Accredited by NAAC

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

Digitally Signed by Prashant Kalla
Designation : REGISTRAR
Date: 2019.11.25 19:10:19 IST
Reason: Approved
Location: JODHPUR

सहकारिता विभाग/ Cooperative Department

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण.पत्र/ Registration Certificate

क्रमांक/ S.No. COOP/2019/JODHPUR/100895

दिनांक/ Date 25-11-2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि AISHWARYA COLLEGE ALUMNI SERVICE SOCIETY जिला JODHPUR जो राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1958 (राजस्थान अधिनियम संख्यांक 28) के अन्तर्गत पंजीकृत है, में पंजीकरण के समय निम्नांकित कार्यकारिणी है

It is certified that AISHWARYA COLLEGE ALUMNI SERVICE SOCIETY district JODHPUR which is registered under The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act No.28) has the following executive committee at the time of registration

Sl. No.	Post	Aadhaar No	Photo	Name	Gender	DOB	Occupation
1	PRESIDENT	XXXXXXXX1870	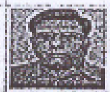	Rishi Nepalia	M	17/01/1974	principal aishwarya college pvt job
2	SECRETARY	XXXXXXXX5466		Rajendra Singh Thapa	M	02/07/1979	govt job
3	TREASURER	XXXXXXXX7956		Manish Choudhary	M	19/04/1977	hod accounts privatejob
4	VICE PRESIDENT	XXXXXXXX4601		Shaji Peter	M	16/07/1979	hod student cell private job
5	MEMBER	XXXXXXXX9132		Ehteshamuddin	M	20/07/1997	private job
6	MEMBER	XXXXXXXX6178	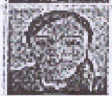	Humera Modi	F	20/10/1994	private job
7	MEMBER	XXXXXXXX5412		Vinod Kumar	M	04/12/1998	student

Aishwarya College of Education Office Seal Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education IQAC Jodhpur (Raj.)

रजिस्ट्रार, संस्थाएं/ Registrar, Institutions

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

A-9, 1st Ext., Kamla Nehru Nagar, Jodhpur-342008 (Raj.)
0291-2760175 info@aishwaryacollege.edu.in www.aishwaryacollege.edu.in

संघ विधान — पत्र

1. सोसायटी का नाम	—	इस संस्था का नाम AISHWARYA COLLEGE ALUMNI SERVICE SOCIETY रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय	—	इस सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय ए—9, प्रथम विस्तार, कमला नेहरू नगर, जोधपुर (राजस्थान) रहेगा।
एवं कार्यक्षेत्र	—	ऐश्वर्या कॉलेज परिसर
3. सोसायटी का उद्देश्य	—	इस सोसायटी के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1. समस्त पूर्व छात्रों और ऐश्वर्या कॉलेज के सहायक आचार्य एक—दूसरे के साथ मिलकर अपने अनुभव को एक मंच पर साझा कर सके।
2. कॉलेज के सभी पूर्व छात्रों और उनके प्रासंगिक डेटा का रिकार्ड रखना।
3. सभी पूर्व छात्रों की अद्यतन और वर्तमान जानकारी को बनाए रखना।
4. पूर्व छात्रों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों को बनाये रखना।
5. पूर्व छात्रो के साथ नियमित सम्पर्क में रहने से उनके मध्य अल्मा मेटर (मातृ संस्था) से सम्बन्धित भावना को बढ़ावा देना।
6. कॉलेज में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
7. अत्यधिक गंभीर परिस्थितियों के मामलों में पूर्व छात्रों के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करना।
8. एलुमनि का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए उन पूर्व छात्रो को सम्मिलित करना जिन्होंने ऐश्वर्या कॉलेज में संचालित पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया हो, जिसे वे समाज के लिए उपयोगी खोज हेतु समय एवं सुझाव दे सके।
9. पूर्व छात्रों के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना जिससे वे भूतपूर्व विद्यार्थियों के पुर्नमिलन हेतु कार्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियों, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार विमर्श रख सके।
10. सोसायटी के अन्तर्गत वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करना जिसके अन्तर्गत पूर्व छात्रों के पुर्नमिलन, विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति एवं कॉलेज विकास के लिए फण्ड जुटाने की कार्यवाही की जा सके।
11. छात्रों को उनकी इन्टरशिप हेतु और ग्रीष्मकालिन समय में उपयोगी कार्यो को करने के लिए उनको सहायता देना।
12. शिक्षको एवं भूतपूर्व छात्रों को सम्मानित करने सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करना।
13. विद्यार्थियों हेतु सेमिनार एवं वर्कशॉप का आयोजन करना जिससे उनकी योग्यता अनुरूप आईटी, मैनेजमेन्ट, कॉमर्स, सांइस एवं कला सम्बन्धी विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के मध्य अन्तराल को कम किया जा सके।
14. औद्योगिक भ्रमण एवं एक्सपर्ट लेक्चर को समय—समय पर आयोजित करना जिससे विद्यार्थियो के व्यावहारिक ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके।
15. भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित उद्योगो में कार्यरत पूर्व छात्रों के माध्यम से कैम्पस प्लेसमेन्ट को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष　　　　सचिव　　　　कोषाध्यक्ष

(1)

Digitally Signed by Prashant Kalla
Designation : REGISTRAR
Date: 2019.11.25 19:40:15 IST
Reason: Approved
Location: JODHPUR

Aishwarya College of Education Office Seal JODHPUR (RAJ.)

Aishwarya College of Education IQAC

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education

• Recognized by UGC under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act, 1956 • Accredited by NAAC

4. सोसायटी का कार्यभार कार्यकारिणी समिति को सौपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :—

क्र.स	पदाधिकारी का नाम	व्यवसाय / नौकरी	पूर्ण पता	सोसायटी में पद
1	डॉ. ऋषि नेपालिया	प्राचार्य, ऐश्वर्या कॉलेज, प्राइवेट नौकरी	1छ28, मॉडल टाउन, 17 सैक्टर, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर	अध्यक्ष
2	राजेन्द्र सिंह थापा	सरकारी कर्मचारी	20 ई / 48, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर	सचिव
3	मनीष चौधरी	विभागाध्यक्ष लेखाविभाग, प्राइवेट नौकरी	एपेक्स स्कूल के पीछे, प्लाट न. 33, कुडी भगतासनी, महावीर नगर, जोधपुर	कोषाध्यक्ष
4	शाजी पीटर	विभागाध्यक्ष, स्टूडेन्ट सैल प्राइवेट नौकरी	1 घ 8, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 1, जोधपुर	उपाध्यक्ष
5	एहतेशामुद्दीन	प्राइवेट नौकरी	लायकान मौहल्ला काली घाटी रोड़, जोधपुर	सदस्य
6	हुमेरा मोदी	प्राइवेट नौकरी	के 251, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर	सदस्य
7	विनोद कुमार	विद्यार्थी	वार्ड न. 26, खोरिडया बेरा, बालोतरा, बाड़मेर	सदस्य

Aishwarya College of Education Office Seal JODHPUR (RAJ.)

Aishwarya College of Education IQAC JODHPUR (RAJ.)

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

A-9, 1st Ext., Kamla Nehru Nagar, Jodhpur-342008 (Raj.)
0291-2760175 info@aishwaryacollege.edu.in www.aishwaryacollege.edu.in

5. हम संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस सोसायटी मे सम्मिलित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है। हम निम्न सदस्यो के नाम, पते, व्यवसाय एवं पूर्ण पता हस्तार सहित इस प्रकार है।

क्र.स	पदाधिकारी का नाम	व्यवसाय/नौकरी	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	डॉ. ऋषि नेपालिया	प्राधार्य, ऐश्वर्या कॉलेज, प्राइवेट नौकरी	1ठ28, मॉडल टाउन, 17 सैक्टर, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर	
2	राजेन्द्र सिंह थापा	सरकारी कर्मचारी	20 ई/48, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर	
3	मनीष चौधरी	विभागाध्यक्ष लेखाविभाग, प्राइवेट नौकरी	एपेक्स स्कूल के पीछे, प्लाट न. 33, कुडी भगतासनी, महावीर नगर, जोधपुर	
4	शाजी पीटर	विभागाध्यक्ष, स्टूडेन्ट सैल प्राइवेट नौकरी	1घ 8, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 1, जोधपुर	
5	एहतेशामुद्दीन	प्राइवेट नौकरी	लायकान मौहल्ला काली घाटी रोड़, जोधपुर	
6	हुमेरा मोदी	प्राइवेट नौकरी	के 251, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर	
7	विनोद कुमार	विद्यार्थी	वार्ड न. 26, खोरिडया बेरा, बालोतरा, बाड़मेर	

Aishwarya College of Education Office Seal JODHPUR (RAJ.)

Aishwarya College of Education IQAC JODHPUR (RAJ.)

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

(2)

Aishwarya College of Education

• Recognized by UGC under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act, 1956 • Accredited by NAAC

विधान नियमावली

1. सोसायटी का नाम	—	इस संस्था का नाम AISHWARYA COLLEGE ALUMNI SERVICE SOCIETY रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय	—	इस सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय ए–9, प्रथम विस्तार, कमला नेहरू नगर, जोधपुर (राजस्थान) रहेगा।
एवं कार्यक्षेत्र	—	ऐश्वर्या कॉलेज परिसर
3. सोसायटी का उद्देश्य	—	इस सोसायटी के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1. समस्त पूर्व छात्रों और ऐश्वर्या कॉलेज के सहायक आचार्य एक–दूसरे के साथ मिलकर अपने अनुभव को एक मंच पर साझा कर सके।
2. कॉलेज के सभी पूर्व छात्रों और उनके प्रासंगिक डेटा का रिकार्ड रखना।
3. सभी पूर्व छात्रों की अद्यतन और वर्तमान जानकारी को बनाए रखना।
4. पूर्व छात्रों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों को बनाये रखना।
5. पूर्व छात्रो के साथ नियमित सम्पर्क में रहने से उनके मध्य अल्मा मेटर (मातृ संस्था) से सम्बन्धित भावना को बढ़ावा देना।
6. कॉलेज में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
7. अत्यधिक गंभीर परिस्थितियों के मामलों में पूर्व छात्रो के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करना।
8. एलुमनि का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए उन पूर्व छात्रो को सम्मिलित करना जिन्होने ऐश्वर्या कॉलेज में संचालित पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया हो, जिसे वे समाज के लिए उपयोगी खोज हेतु समय एवं सुझाव दे सके।
9. पूर्व छात्रों के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना जिससे वे भूर्तपूर्व विद्यार्थियों के पुर्नमिलन हेतु कार्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियों, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार विमर्श रख सके।
10. सोसायटी के अन्तर्गत वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करना जिसके अन्तर्गत पूर्व छात्रों के पुर्नमिलन, विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति एवं कॉलेज विकास के लिए फण्ड जुटाने की कार्यवाही की जा सके।
11. छात्रों को उनकी इन्टरशिप हेतु और ग्रीष्मकालिन समय में उपयोगी कार्यो को करने के लिए उनको सहायता देना।
12. शिक्षको एवं भूर्तपूर्व छात्रों को सम्मानित करने सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करना।
13. विद्यार्थियों हेतु सेमिनार एवं वर्कशॉप का आयोजन करना जिससे उनकी योग्यता अनुरूप आईटी, मैनेजमेन्ट, कॉमर्स, सांइस एवं कला सम्बन्धी विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के मध्य अन्तराल को कम किया जा सके।
14. औद्योगिक भ्रमण एवं एक्सपर्ट लेक्चर को समय–समय पर आयोजित करना जिससे विद्यार्थियो के व्यावहारिक ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके।
15. भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित उद्योगो में कार्यरत पूर्व छात्रों के माध्यम से कैंपस प्लेसमेन्ट को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Aishwarya College of Education Office Seal Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education IQAC Jodhpur (Raj.)

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education

• Recognized by UGC under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act, 1956 • Accredited by NAAC

4 सदस्यता :— निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति सोसायटी के सदस्य बन सकेंगे :—

1. सोसायटी के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हो
3. पागल, दीवालिये न हो।
4. सोसायटी के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. सोसायटी के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5 सदस्यों का वर्गीकरण :— सोसायटी के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :—

1. संरक्षक
2. विशिष्ठ
3. सम्माननीय
4. साधारण

6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा शुल्क :— उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :—

1.	संरक्षक	राशि 5000/—वार्षिक/आजन्म
2.	विशिष्ठ	राशि 3000/—वार्षिक/आजन्म
3.	सम्माननीय	राशि 2000/—वार्षिक
4.	साधारण	राशि 200/—वार्षिक

7 सदस्यता से निष्कासन :— सोसायटी के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :—

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग —पत्र देने पर
3. सोसायटी के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर—अन्दर लिखित मे आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8 साधारण सभा :— सोसायटी के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे

Aishwarya College of Education Office Seal Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education IQAC Jodhpur (Raj.)

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :– साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :–

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. सोसायटी के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

10 साधारण सभा की बैठकें :–

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. सोसायटी के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11 कार्यकारिणी का गठन :– सोसायटी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष – एक
2. उपाध्यक्ष – एक
2. सचिव – एक
4. कोषाध्यक्ष – एक
5. सदस्य – तीन

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 04 पदाधिकारी व 03 सदस्य कुल 07 सदस्य होंगे।

Aishwarya College of Education Office Seal Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education IQAC

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education
• Recognized by UGC under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act, 1956 • Accredited by NAAC

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1. सोसायटी की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :– सोसायटी का कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :–

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. सोसायटी की सम्पति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भतों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14 कार्यकारिणी की बैठकें :–

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व ऐजण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

Aishwarya College of Education Office Seal Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education IQAC Jodhpur

(4)

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

सोसायटी की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1 — अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. सोसायटी का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2 — उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3 — सचिव

1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. सोसायटी का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर सोसायटी की ओर से हस्ताक्षर करना
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4 — कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3. चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य समपन्न करना।

Aishwarya College of Education Office Seal Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education IQAC Jodhpur

⑤

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

16 सोसायटी का कोष :- सोसायटी का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :- सोसायटी के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1. अध्यक्ष राशि 6000/-
2. सचिव राशि 5000/-
3. कोषाध्यक्ष राशि 2000/-

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18 सोसायटी का अंकेक्षण :- सोसायटी के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार सोसायटी को प्रस्तुत करने होंगे।

19 सोसायटी के विधान में परिवर्तन :- सोसायटी के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20 सोसायटी का विघटन :- यदि सोसायटी का विघटन आवश्यक हुआ, तो सोसायटी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार सोसायटी को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Aishwarya College of Education Office Seal Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education IQAC Jodhpur

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

21 सोसायटी के लेखे का निरीक्षण :—

रजिस्ट्रार सोसायटी जोधपुर को सोसायटी के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा किये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) AISHWARYA COLLEGE ALUMNI SERVICE SOCIETY की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Aishwarya College of Education Office Seal Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education IQAC Jodhpur (Raj.)

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)

Aishwarya College of Education

• Recognized by UGC under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act, 1956 • Accredited by NAAC

Digitally Signed by Prashant Kalla
Designation : REGISTRAR
Date: 2019.11.25 19:40:17 IST
Reason: Approved
Location: JODHPUR

Aishwarya College of Education Office Seal JODHPUR (RAJ.)

Aishwarya College of Education IQAC JODHPUR (RAJ.)

Dr. Rishi Nepalia
Principal
Aishwarya College of Education
Jodhpur (Raj.)